न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज)

अपील संख्याः– 12/73/2025

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/325

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री कैलाशचन्द सैनी पुत्र श्री रामसिंह सैनी निवासी वार्ड नं. 11 कजोडी मौहल्ला खेरली, तहसील कठूमर, अलवर (राज०)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रवेश तिथि :: 18.12.2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 15.01.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 03.09.2025 के परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं मिलने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 31.12.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक आर.टी.आई./2026/344 दिनांक 15.01.2026 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 03.09.2025 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना से अपीलार्थी को पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/270 दिनांक 03.10.2025 के द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को विनिश्चय कर संसूचित किया गया है। प्रति संलग्न है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/270 दिनांक 03.10.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 15.01.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त
जिला कलक्टर प्रथम,
अलवर(राज.)